(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 261/2016

बउनवान

राधेश्याम पुत्र कंवरलाल जाति मीणा निवासी निपानी तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबडा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री संजय नागर अभिभाषक **(अपीलांट)**

2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 19.08.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 1027/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 17.11.2015 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम निपानी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2072 में खसरा नम्बर 340,315,335 रकबा 10.00 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन/मक्का की बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 3 माह (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं लगान का 50 गुणा तावान राशि से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 27.5.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली 9 बार तलब किये जाने उपरांत भी अप्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा अपीलांट को विधि विरूद्व तरीके से आराजीयात खसरा नम्बर 340,315,335 रकबा 10.00 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर दिनांक 17.11.2015 को निर्णय पारित कर 50 गुना तावान की राशि 90 दिवस सिविल कारावास की सजा बहाल रखी जाने का निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्व एकतरफा पारित किया गया है एवं अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई समय नही दिया गया और नही अपीलांट को कभी बेदखल किया, पत्रावली मे अपीलांट का बेदखली नामा भी शामिल नही है तथा ना ही कोई स्वतंत्र गवाह पेश किये गये है। इसलिये निर्णय अधीनस्थ न्यायालय का नितांन्त असत्य तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 17.11.2015 निरस्त किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित मे होगा। क्योकि अपीलांट ने तावान की राशि भी जमा करवा दी है तथा अपीलांट का उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई कब्जा नही है तथा उक्त आराजियात खाली बडी हुई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2015 की जानकारी अपीलांट को दिनांक 20.4.2016 को पुलिस घर पर तलाश करने जाने पर हुयी तथा अपीलांट ने दिनांक 20.4.2016 को ही नकल लेने हेतु आवेदन किया। जिसकी नकल अपीलांट को दिनांक 28.4.2016 को प्राप्त हुई। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर, अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन/मक्का की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया है। जिसकी तामील करवाई गयी है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा। उसने अपने पक्ष समर्थन मे कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी सम्वत् 2071 में भी इसी आराजी पर फसल चना की बोई जाकर अतिक्रमण किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 506/2014 से दिनांक 17.3.2015 को 50 गुना तावान राशि एवं फसल जप्त कर सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2072 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षो के तर्को का मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा के द्वारा पारित आदेश मे स्पष्ट रूप से पूर्व मे बेदखली का उल्लेख किया गया है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित रहा है उसके द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 31.8.2015 की पालना भी नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय मे शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद भी पुनः विवादित आराजी पर अतिक्रमण कर फसल काश्त की गई है। जिसका स्पष्ट उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किया गया है। हम पेरोकार सरकार के कथनो से पूर्णतया सहमत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 1027/2015 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 17.11.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.09.03 15:40:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: